कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी), मध्य प्रदेश

प्रगति भवन, भोपाल विकास प्राधिकरण, तृतीय तल, एम.पी.नगर, भोपाल

दूरभाष : 0755–2674318, 2674337, फैक्स : 0755–2766315

E-mail : pccfwl@mpforest.org

क्रमांक / संरक्षण / 153 / 8612 भोपाल, दिनांक : 7-9-2021

प्रति,

1. समस्त मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय)
2. समस्त क्षेत्रीय मुख्य महाप्रबंधक, वन विकास निगम
3. समस्त क्षेत्र संचालक, टाइगर रिजर्व / राष्ट्रीय उद्यान
4. समस्त वनमंडलाधिकारी (क्षेत्रीय / वन्यप्राणी)
5. समस्त मंडल प्रबंधक वन विकास निगम
6. समस्त प्रभारी, क्षेत्रीय टाइगर स्ट्राइक फोर्स, मध्यप्रदेश।

विषय :– **विभिन्न वन अधिनियमों के अंतर्गत दर्ज अपराधिक प्रकरणों में न्यायालयों में शासन का पक्ष रखे जाने में लापरवाही न बरतने के संबंध में।**

संदर्भः– लोक अभियोजन संचालनालय मध्यप्रदेश भोपाल का परिपत्र दिनांक 29.05.2020।

विभाग के द्वारा प्रदेश में विभिन्न वन अधिनियमों, मुख्यतः वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 के अंतर्गत विगत वर्षों में दर्ज कुछ अपराधिक प्रकरणों जिनका निपटारा संबंधित माननीय न्यायालयों द्वारा किया जा चुका है, से संबंधित न्यायालीन आदेशों का विस्तृत विश्लेषण एक संस्था के सहयोग से किया जाकर प्रतिवेदन तैयार करवाया गया है। उक्त प्रतिवेदन के अवलोकन में यह पाया गया कि बड़ी संख्या में प्रकरणों का विभाग के पक्ष में निराकरण नहीं हो पाया व उसके पीछे मुख्य कारण, अभियोजन साक्षियों / वनाधिकारियों के द्वारा विरोधाभाषी कथन (Contradictory Statement) दर्ज करवाना अथवा उनका पक्षद्रोही (Hostile Witness) हो जाना है, जो अत्यंत खेदजनक होकर चिंता का विषय है।

वन विभाग के द्वारा दर्ज प्रकरणों में अभियोजन साक्षी प्रायः शासकीय सेवक व विभाग द्वारा वन–वर्धनिक तथा वन सुरक्षा के कार्यों हेतु संलग्न सुरक्षा श्रमिक ही होते हैं। इस प्रकार शासन द्वारा नियोजित व्यक्तियों द्वारा अथवा उनके समक्ष हुई कार्यवाही के संबंध में आपराधिक प्रकरणों के विचारण के दौरान अभियोजन का समर्थन न करते हुये पक्षद्रोही हो जाना या जानबूझकर / लापरवाहीपूर्वक अपने कथन दर्ज करवाने से अनुचित लाभ अभियुक्त पक्ष को हो जाता है। ऐसी प्रवृत्ति आपराधिक न्याय प्रशासन के समक्ष गंभीर चुनौती है जिस पर समय–समय पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी चिंता जाहिर की गई है। ऐसे व्यक्तियों के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 193 में कार्यवाही किये जाने का प्रावधान भी है।

अतः शासन हित में भविष्य में निम्नानुसार कार्यवाही की जावेः–

यदि कोई वनाधिकारी / शासकीय सेवक उसके द्वारा अथवा उसके समक्ष की गई कार्यवाही के संबंध में न्यायालय के समक्ष किसी जांच या विचारण के दौरान पक्षद्रोही होता है या जानबूझकर या लापरवाहीपूर्वक कथन दर्ज करवाता है या अभियुक्त पक्ष को किसी भी प्रकार से अनुचित लाभ पहुंचाने की चेष्टा करता है अथवा उसके उक्त कृत्य के कारण अभियुक्त को न्यायालय द्वारा दोषमुक्त कर दिया जाता है तब उक्त वनाधिकारी के विरूद्ध तथ्यात्मक जानकारी, संबंधित न्यायालय से अथवा लोक अभियोजन अधिकारी से प्राप्त कर विभागीय जांच संस्थापित की जाकर उसकी प्रतिलिपि वन मुख्यालय को भी प्रेषित करें। उक्त कार्यवाही शीघ्र पूर्ण कर जांच के गुणदोष के आधार पर कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाना सुनिश्चित करें।

उक्त निर्देश उन समस्त व्यक्तियों, जिन्हें विभाग द्वारा अपराधिक प्रकरणों की अभियोजन साक्षियों की सूची में शामिल किया गया हो, चाहे वह वर्तमान में विभाग में कार्यरत हैं या सेवानिवृत्त हो चुके हों, उन सभी पर लागू होंगे।

7/09/2021

(आलोक कुमार)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) एवं
मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक म.प्र.

पृ.क्रमांक / संरक्षण / 2021 / 1531 6613 भोपाल, दिनांक 7.9.2021

प्रतिलिपि :–

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, सतपुड़ा भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. महानिदेशक एवं संचालक, लोक अभियोजन संचालनालय, भदभदा रोड, भोपाल की ओर सूचनार्थ कर लेख है कि कृपया अधिनस्थ लोक अभियोजन अधिकारियों को निर्देश देने का कष्ट करें कि वह वन विभाग से संबंधित प्रकरणों में उपरोक्तानुसार परिस्थिति उत्पन्न होने पर संबंधित अभियोजन साक्षी / वनाधिकारी के विरूद्ध उक्त जिले के वनमंडलाधिकारी को लिखित में सूचित करें, ताकि आवश्यक कार्यवाही की जा सके।
3. प्रबंध संचालक, वन विकास निगम, पंचानन भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. प्रबंध संचालक, मध्य प्रदेश लघु वनोपज संघ, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण), सतपुड़ा भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) एवं
मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक म.प्र.